Improvement of National Highways in Assam

1835. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be plesed to state:

(a) the details of assistance given/ proposed to be given for improvement of National Higways passing through Assam;

(b) whether more roads and bridges are contemplated on Brahmaputra;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) National Highway are entirely the responsibility of Central Government. Rs. 25.61 crore for development and Rs. 23.45 crore for maintenance & repair of National Highway in Assam have been allocated this year till now.

(b) to (d) A Rail cum road bridge across brahmaputra at Bogibeel Bridge near Dibrugarh is contemplated. The Ministry of Railway are the nodal Ministry. As the project is still in pre-location survey and pre-details project report stage, it is too early to indicate the details of this bridge.

पुराने वाहनों पर प्रतिबंध

1836. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जुलाई, 1998 को "दैनिक जागरण" में "एक लाख वाहन सड़कों से बाहर हो जायेंगे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में चरणबद्ध रूप से हटाए जाने वाले वाणिज्यिक/परिवहन वाहनों की कुल संख्या 17,511 होगी न कि एक लाख जैसा कि समाचार में प्रकाशित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि उन्होंने इन पुराने वाणिज्यिक/परिवहन वाहनों के पंजीकृत मालिकों को नए वाहन के प्रतिस्थापन के लिए निम्नलिखित वित्तय पैकेज/प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है:—

(i) नए वाणिज्यिक मोटर वाहनों की खरीद पर बिक्री कर के भुगतान से छूट,

(ii) उक्त पंजीकृत मालिकों द्वारा दिल्ली वित्त निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाहन निर्माताओं की वित्तीय कंपनियों से ऋण लेने और स्वयं निवेश करने पर ब्याज दर पर 4% की सब्सिडी।

Corporation of Ports

1837. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have finalised the proposal for the Corporatisation of ports in a phased manner, as reported in the Hindustan Times dated the 16th November, 1998;

(b) if so, the details thereof and the reasons for corporatisation of ports; and

(c) by when the proposed legislation amending the Major Port Trusts Act is likely to be brought before the Parliament indicating the present financial position of each port and increase in status and financial position after corporatisation during 1997-98 and 1998-99?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.